भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3102

उत्तर देने की तारीख**: 20/03/2023**

केंद्र सरकार के तत्वावधान में केंद्रीय विद्यालय तथा विश्वविद्यालय

3102 श्री रामचरण बोहरा:

श्री निहाल चन्द चौहान:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार के तत्वावधान में केंद्रीय विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान ब्यौरा क्या है;
(ख) इनमें कार्यरत शैक्षिक तथा गैर-शैक्षिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है;
(ग) गत दो वर्षों के दौरान शैक्षिक तथा गैर-शैक्षिक रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार इन रिक्तियों को किस प्रकार भरेगी; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) वर्तमान में, देश में शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में 1249 केन्द्रीय विद्यालय (केवी), 46 केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयू), और 01 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), दिल्ली कार्य कर रहे हैं। केवी और सीयू का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण संलग्न है।
(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), केंद्रीय विश्वविद्यालय और इग्नू में कार्यरत शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

संस्थान/विभाग का नाम	**शिक्षण**	**गैर-शिक्षण**
केंद्रीय विद्यालय संगठन (30.11.2022 के अनुसार)	37089	5298
केंद्रीय विश्वविद्यालय (01.02.2023 के अनुसार)	12928	20304

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	482 (13.03.2023 के अनुसार)	1161 (01.03.2023 के अनुसार)

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों (केवी), केंद्रीय विश्वविद्यालयों और इग्नू में पिछले दो वर्षों के दौरान शिक्षण और गैर-शिक्षण श्रेणियों में रिक्त पदों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

पद	**केवीएस**			**केंद्रीय विश्वविद्यालय**		**इग्नू**	
	2021	2022	मिशन मोड में भर्ती के लिए विज्ञप्ति रिक्तियों की कुल संख्या (दिसंबर, 2023 तक)	01.04.2022 के अनुसार	01.02.2023 के अनुसार	31.12.2021 के अनुसार	31.12.2022 के अनुसार
शिक्षण	10452	12769	17425	6549	6028	256	294
गैर-शिक्षण	1498	1692		14254	16078	633	674

(घ) और (ड.) सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, पदोन्नति और नए विषयों के उन्नयन/स्वीकृति के कारण छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण अतिरिक्त आवश्यकता होने से रिक्तियां सृजित होती हैं। रिक्तियों को नियमित आधार पर भरना एक सतत प्रक्रिया है और संबंधित संस्थान के प्रासंगिक भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) द्वारा शिक्षकों को अस्थायी अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्त किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया बाधित न हो। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और संकाय की कमी को पूरा करने हेतु, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और इग्नू में विजिटिंग/संबद्ध संकाय, एमेरिटस प्रोफेसर, सांस्थानिक प्रोफेसर, तदर्थ संकाय, अतिथि संकाय, संविदा संकाय और पुनर्नियोजित संकाय आदि की भर्ती/नियुक्ति का प्रावधान है। संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा मिशन मोड के तहत शिक्षण और गैर-शिक्षण वर्गों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया की जाती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मिशन मोड के तहत शिक्षण और गैर-शिक्षण वर्गों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और तदनुसार 13,411 रिक्तियों को प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से एवं 4014 रिक्तियों को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाने हेतु विज्ञापित किया गया है। इसके अलावा, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 05.09.2021 से 28.02.2023 तक 1471 संकाय पदों के लिए भर्ती की गई है।

*****

अनुलग्नक

"केंद्र सरकार के तत्वाधान में केंद्रीय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री रामचरण बोहरा और श्री निहाल चंद द्वारा 20/03/2023 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3102 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

देश में कार्य कर रहे केंद्रीय विद्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र के नाम	केंद्रीय विद्यालयों की संख्या	केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	02	0
2	आंध्र प्रदेश	35	03
3	अरुणाचल प्रदेश	19	01
4	असम	58	02
5	बिहार	49	02
6	चंडीगढ़	05	0
7	छत्तीसगढ	36	01
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	02	0
9	दिल्ली	46	05
10	गोवा	05	0
11	गुजरात	45	01
12	हरियाणा	35	01
13	हिमाचल प्रदेश	26	01
14	जम्मू और कश्मीर	35	02
15	झारखंड	41	01
16	कर्नाटक	52	01
17	केरल	38	01
18	लक्षद्वीप	01	0
19	लद्दाख	03	01
20	मध्य प्रदेश	112	02
21	महाराष्ट्र	59	01
22	मणिपुर	09	01
23	मेघालय	07	01
24	मिजोरम	04	01
25	नागालैंड	06	01
26	ओडिशा	66	01
27	पुदुचेरी	04	01
28	पंजाब	51	01
29	राजस्थान	77	01
30	सिक्किम	02	01
31	तमिलनाडु	45	01
32	तेलंगाना	35	03
33	त्रिपुरा	10	01
34	उत्तर प्रदेश	122	04
35	उत्तराखंड	45	01
36	पश्चिम बंगाल	62	01
	कुल	**1249**	**46**

*****